न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 134/17
निर्णय दिनांकः 22.06.2018

1. गोपीराम
2. बोदूराम
3. नन्दाराम
4. मांगीलाल
5. हीरालाल
6. भूरीदेवी
7. रतनीदेवी

समस्त पिसरान रामचन्द पुत्र डूंगा जाति गुर्जर नि0 बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 264 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 265 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 266 रकबा 9 विस्वा, खं0नं0 267 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 269 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो जमाबन्दी संव् 2071 से 74 में रामचन्द पुत्र तुलसा कौम गुर्जर के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात मधूरा बेवा तुलसा को जरिये अलाटमेन्ट खातेदारी में दर्ज की गई थी। जिसकी मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण सं0 39 वादीगण के पिता रामचन्द के नाम खोला गया था लेकिन रामचन्द की वल्दीयत डूंगा के स्थान पर तुलछा दर्ज कर दी गई जबकि मधूरा की विरासत का नामान्तकरण रामचन्द पुत्र डूंगा के नाम खोला जाना चाहिये था रामचन्द पुत्र तुलसा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बाघपुरा में नहीं है वरन् वादीगण के पिता रामचन्द पुत्र डूंगा ही मथूरा की मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्राप्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे थे व लगान अदा करते आ रहे थे। रामचन्द्र पुत्र डूंगा का दिनांक 02.12.15 को देहावसान हो चुका है जिसके पश्चात् वादीगण उसके उत्तराधिकारी एवं वारिसान होने के नाते वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादीगण की माता छोटीदेवी का भी दिनांक 14.07.16 को देहावसान हो चुका है वर्तमान में रामचन्द पुत्र डूंगा के वादीगण ही एकमात्र वारिस/उत्तराधिकारी है। मथूरा की मृत्यु के पश्चात् खोले गये विरासत के फौती नामान्तकरण में रामचन्द पुत्र डूंगा के बजाय रामचन्द पुत्र तुलसा दर्ज होने से रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् विरासत का फौती नामान्तकरण वादीगण के नाम नहीं खोला जा सका है वादीगण ने कई बार पटवार हल्का व प्रतिवादी से इस बाबत निवेदन किया तो उन्होनें पहलें वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी में दर्ज इन्द्राज रामचन्द पुत्र तुलसा को दुरूस्त करवाकर रामचन्द पुत्र डूंगा दर्ज करवाने बाबत न्यायालय में चाराजोरी करने की सलाह दी अन्तिम बार दिनांक 30.06.17 को वादीगण ने प्रतिवादी से विरासत का नामान्तकरण खोलने बाबत् निवेदन करने व प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में चाराजोरी करने की सलाह देने पर उक्त वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र शार्दुलपुरा में पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित है। तहसीलदार फुलेरा ने रिपोर्ट एवं फर्द मौका रिपोर्ट पेश जिसमें अंकित किया कि मौतबिरान ग्राम बाघपुरा के आराजी खं0नं0 264, 264, 266, 267, 269 किता 5 रकबा 12 बीघा 9 विस्वा में दर्ज रामचन्द पुत्र तुलसा जाति गुर्जर के स्थान पर रामचन्द पुत्र डूंगा जाति गुर्जर की शुद्वि बाबत माननीय न्यायालय के वाद में जांच की गयी। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि उक्त भूमि मथुरादेवी पत्नि तुलसा गुर्जर को आवंटन हुई जिसकी तस्दीक राजस्व रिकोर्ड से भी होती है तत्पश्चात् मथुरादेवी की विरासत इनके भतीजें के नाम (रामचन्द) से भूमि आई रामचन्द्र के पिता का नाम डूंगा होना बताया। विरासत मथुरादेवी की दर्ज नामान्तकरण में मथुरादेवी के पति का नाम रामचन्द्र के साथ दर्ज हो गया जबकि इनके पिता का नाम डूंगा होना बताया। उपस्थित ने रामचन्द्र के पिता तुलसा के स्थान डूंगा दर्ज किया जाना उचित बताया। फर्द मौका तैयार कर पढ़कर सुनाया एवं हस्ताक्षर करवाये।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नामान्तकरण पंजीका, जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र मथुरादेवी, रामचन्द्र, छोटीदेवी पेश की है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी द्वारा पेश फर्द मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी ख0नं0 264 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 265 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 266 रकबा 9 विस्वा, ख0नं0 267 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, ख0नं0 269 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में रामचन्द्र पुत्र तुलसा के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र डूंगा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

गोपीराम वगै० बनाम तहसीलदार

वाद बाबतघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 134 / 17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागचन्द सांभरिया व हाजरी .. .. मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 264 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 265 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 266 रकबा 9 विस्वा, खं0नं0 267 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 269 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में रामचन्द्र पुत्र तुलसा के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र डूंगा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ....
..निज .... मुबलिग...................................... बाबत्..................................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत............
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner